

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

लोक निर्माण संहिता के नियम 83 (यथासंशोधित) के अनुसार किसी कार्य की पुनरीक्षण प्राक्कलित राशि याद मूल प्रशासनिक स्वीकृति से 20% अधिक होती है तो पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति का आवश्यकता होती है। पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति में मूल मात्रा में वृद्धि मदा का पुनस्थापन इत्यादि सन्निहित रहता है। यह देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृतिप्रदत्त हो जाने के उपरांत भी उक्त पुनरीक्षण प्राक्कलन में निर्हित मदा अथवा मात्रा में वृद्धि के लिए कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा अधीक्षण अभियंता मुख्य अभियंता से स्वीकृति की मांग की जाती

यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के द्वारा पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दिया जाने के बाद पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत सन्निहित मदा में वृद्धि मदा का पुनस्थापन करके वृद्धि एवं मात्रा में वृद्धि के लिए लोक निर्माण संहिता के कोडका-182ए. 292-XVII(X.) 293XVII, 294IX (XVI) के आलोक में पुनः स्वीकृति का आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह पूर्व से ही पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति में सन्निहित है।

एसी स्थिति में पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत बढाव का दावा भूगतान कार्यपालक अभियंता के स्तर से किया जायेगा। जिन अतिरिक्त मदा में दर का अनुमादन आवश्यक है, अधीक्षण अभियंता स्तर से दर का अनुमादन किया जायगा।



इह व्यवस्था सिर्फ पुनरांकित न्यायनिक स्वीकृति से आच्छादित मद-मात्रा में बदलाव के लिए ही प्रभावी होगी।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसका प्रांत सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*[Signature]*  
सरकार के सचिव  
प० नि० वि०

ज्ञापाक: 06 / द०बि०-नियम-03-08 : 2006(अंश) पटना, दिनांक 14-9-09  
प्रतिनिधि - महालखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

*[Signature]*  
सरकार के सचिव  
प० नि० वि०

ज्ञापाक: 06 / द०बि०-नियम-03-08 : 2006(अंश) पटना, दिनांक 14-9-09  
प्रतिनिधि - अध्याय राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस बिहार के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र को 100 प्रतियाँ विभाग का उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

*[Signature]*  
सरकार के सचिव  
प० नि० वि०

ज्ञापाक: 06 / द०बि०-नियम-03-08 : 2006(अंश) पटना, दिनांक 14-9-09  
प्रतिनिधि - सचिव विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकार अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव सभी मुख्य अभियंता प०नि०वि०/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव(प्रा०), प०नि०वि०/सभी अधीक्षण अभियंता, प०नि०वि०/सभी कायपालक अभियंता प०नि०वि०/प०नि०वि० मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
सरकार के सचिव  
प० नि० वि०

31/9/09